जयराम रमेश
JAIRAM RAMESH

सत्यमेव जयते

ग्रामीण विकास मंत्री
भारत सरकार
कृषि भवन, नई दिल्ली-110114
MINISTER OF RURAL DEVELOPMENT
GOVERNMENT OF INDIA
KRISHI BHAVAN, NEW DELHI-110 114

दिनांक 24 अक्तूबर, 2011

प्रिय मायावतीजी

उत्तर प्रदेश राज्य में महात्मा गांधी नरेगा के कार्यान्वयन की अत्यंत असंतोषजनक स्थिति से खिन्न होकर मैं आपको यह पत्र लिख रहा हूं।

यह सही है कि नारी संघों के माध्यम से उत्तर प्रदेश में कार्यरत सिविल सोसाइटी संगठन महात्मा गांधी नरेगा कर्मियों के अधिकारों के बारे में काफी अधिक जागरूकता उत्पन्न करने में सफल रहे हैं। मैं स्वयं, वनांगना नामक ऐसे एक संगठन के सम्पर्क में आया हूं, जो कि चित्रकूट एवं बांदा में कार्यरत है। **हमारी जानकारी के अनुसार, उत्तर प्रदेश में महात्मा गांधी नरेगा का कार्यान्वयन, अन्य अधिकांश राज्यों की तुलना में कोई ज्यादा संतोषजनक नहीं रहा है।** समय-समय पर उल्लंघन तथा निधियों की धोखाधड़ी के कई गंभीर मामले केन्द्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय के ध्यान में आते रहे हैं। ग्रामीण विकास मंत्रालय गंभीर शिकायतों की जांच करने के लिए राष्ट्रीय स्तर के मॉनीटर नियुक्त करता है। लेकिन मुझे बहुत दुःख के साथ यह कहना पड़ रहा है कि **राज्य सरकार इन मॉनीटरों के निष्कर्षों और सिफारिशों पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं कर रही है। राष्ट्रीय स्तर के मॉनीटरों की जिन 22 रिपोर्टों में गंभीर अनियमितताओं का उल्लेख किया गया था, उन पर राज्य सरकार ने कई महीनों से कोई कार्रवाई नहीं की है।**

राज्य सरकार द्वारा राष्ट्रीय स्तर के मॉनीटरों के निष्कर्षों की अनदेखी करना सही नहीं है। **मैंने पाया है कि सोनभद्र, मिर्जापुर, कुशीनगर और संत कबीर नगर नामक 4 जिलों में महात्मा गांधी नरेगा के कार्यान्वयन के संबंध में राज्य गुणवत्ता मॉनीटर के निष्कर्षों की अनदेखी की गई है।** अधिकारियों की आय से अधिक सम्पति या आपराधिक दोषों की जांच से संबंधित सिफारिशों पर कोई कार्रवाई नहीं की गई है। संभवतः कुछ अधिकारियों को निलंबित तो किया गया है, लेकिन अपनी ईमानदारी के लिए प्रसिद्ध अधिकारी द्वारा की गई निष्पक्ष जांच की कई अन्य सिफारिशों पर कोई कार्रवाई नहीं की गयी है। राज्य सरकार की लगातार निष्क्रियता से यह स्पष्ट संदेश जा रहा है कि यदि राज्य की सत्ता का संरक्षण आपको प्राप्त है तो खूब पैसे बनाओ, सभी नियमों और प्रक्रियाओं का घोर उल्लंघन करो और आपके खिलाफ कुछ नहीं होगा।

.........2/-

मुख्य मंत्री महोदया, केन्द्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय के पास यह विकल्प हमेशा रहा है कि महात्मा गांधी नरेगा के लिए उत्तर प्रदेश को दी जाने वाली निधियां या तो पूरी तरह से या आंशिक रूप से तब तक के लिए रोक दी जाएं, जब तक राज्य सरकार राष्ट्रीय स्तर के मॉनीटरों और राज्य गुणवत्ता मॉनीटरों की रिपोर्टों पर कोई **विश्वसनीय** कार्रवाई नहीं करती है। लेकिन इस कार्रवाई से राज्य के गरीब लोगों को विभिन्न स्तरों पर अधिकारियों और उनके राजनीतिक आकाओं के अपराधों की सजा भुगतनी पड़ती है। हमारे पास दूसरा विकल्प यह है कि इस मामले में सीबीआई जांच करायी जाए, जिसके लिए राज्य सरकार की सहमति लेनी होगी। निश्चित रूप से यदि राज्य सरकार के पास छुपाने को कुछ नहीं है और उनका मन साफ है तो **उन्हें राष्ट्रीय स्तर के मॉनीटरों एवं राज्य गुणवत्ता मॉनीटरों के निष्कर्षों और मीडिया में आई खबरों के आधार पर राज्य के कुछ जिलों में महात्मा गांधी नरेगा के कार्यान्वयन के विषय में सीबीआई जांच के हमारे अनुरोध पर कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए।** ऐसी जांच से कमजोर वर्गों के लोगों को शीघ्र न्याय मिल पाएगा।

मेरा आपसे अनुरोध है कि **कृपया बलरामपुर, गोंडा, महोबा, सोनभद्र, संत कबीर नगर, मिर्जापुर तथा कुशीनगर में महात्मा गांधी नरेगा के कार्यान्वयन के संबंध में शीघ्र सीबीआई जांच कराने के बारे में अपनी सहमति दें। उक्त सीबीआई जांच शीघ्र कराया जाना जरूरी है, क्योंकि उत्तर प्रदेश के मामले में महात्मा गांधी नरेगा के तहत श्रम बजट वर्ष 2011-12 के दौरान 5000 करोड़ रु. से अधिक हो गया है, जिसे केन्द्र सरकार द्वारा वहन किया जाता है।** इन जिलों में केन्द्रीय तथा राज्य सरकार की निधियों की आपराधिक धोखाधड़ी, जालसाजी का एक उदाहरण है, जैसा कि राज्य में राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के मामले में हुआ है, जिसकी सीबीआई जांच चल रही है।

माननीय मुख्य मंत्री महोदया, मैं आपको आश्वसस्त करना चाहूंगा कि केन्द्र सरकार के ग्रामीण विकास कार्यक्रमों एवं योजनाओं के संबंध में उत्तर प्रदेश को सदैव प्राथमिकता दी जाती रहेगी।

सादर,

शुभेच्छु

जयराम रमेश

(जयराम रमेश)

कुमारी मायावती,
मुख्य मंत्री,
उत्तर प्रदेश

गंभीर शिकायतों वाली एनएलएम रिपोर्टों की सूची जिनपर उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा अभी कार्रवाई की जानी है

क्र.सं. एनएलएम द्वारा जाँच	जिले का नाम	एनएलएम रिपोर्ट की स्थिति
1	चंदौली	1. दिनांक 13.03.09 को एनएलएम की रिपोर्ट भेजी गई 2. 13.01.11 को अनुस्मारक जारी किया गया
2	बलिया	1. दिनांक 05.07.2010 को शिकायत अग्रेषित की गई। 2. दिनांक 08.12.2010 को अनुस्मारक भेजा गया। 3. एनएलएम प्रतिनियुक्त किया गया और दिनांक 27.04.2011 को रिपोर्ट भेजी गई।
3	चंदौली	1. दिनांक 03.09.2010 को एनएलएम की रिपोर्ट अग्रेषित की गई। 2. दिनांक 25.10.2010 को अनुस्मारक जारी किया गया। 3. दल की रिपोर्ट 17.01.2011 को अग्रेषित की गई।
4	चंदौली	1. दिनांक 30.11.2009 को एनएलएम की रिपोर्ट भेजी गई। 2. दिनांक 15.12.2010 को अनुस्मारक जारी किया गया। 3. पुनः दिनांक 18.01.2011 को अनुस्मारक जारी किया गया।
5	बुलंदशहर	दिनांक 21.12.2010 को एनएलएम की रिपोर्ट भेजी गई।
6	बहराईच	दिनांक 26.04.2011 को एनएलएम की रिपोर्ट अग्रेषित की गई।
7	गोरखपुर	दिनांक 25.01.2011 को एनएलएम की रिपोर्ट अग्रेषित की गई।
8	बहराईच	दिनांक 26.04.2011 को एनएलएम की रिपोर्ट अग्रेषित की गई।
9	सिद्धार्थनगर	दिनांक 25.01.2011 को एनएलएम की रिपोर्ट अग्रेषित की गई।
10	बलिया	दिनांक 27.04.2011 को एनएलएम की रिपोर्ट अग्रेषित की गई।
11	चित्रकूट	दिनांक 08.04.2011 को एनएलएम की रिपोर्ट अग्रेषित की गई।
12	महामाया नगर	दिनांक 25.04.2011 को एनएलएम की रिपोर्ट अग्रेषित की गई।
13	देवरिया	दिनांक 07.06.2011 को एनएलएम की रिपोर्ट अग्रेषित की गई।
14	चित्रकूट	दिनांक 26.04.2011 को एनएलएम की रिपोर्ट अग्रेषित की गई।
15	झांसी	दिनांक 07.04.2009 को एनएलएम की रिपोर्ट अग्रेषित की गई।
16	कानपुर	दिनांक 23.11.2010 को एनएलएम की रिपोर्ट अग्रेषित की गई।
17	अंबेडकर नगर	दिनांक 01.06.2011 को एनएलएम की रिपोर्ट अग्रेषित की गई।
18	शाहजहांपुर	दिनांक 03.06.2011 को एनएलएम की रिपोर्ट अग्रेषित की गई।
19	शाहजहांपुर	1. दिनांक 21.12.2010 को एनएलएम की रिपोर्ट अग्रेषित की गई। 2. दिनांक 18.08.2011 को अनुस्मारक जारी किया गया।
20	महामायानगर	दिनांक 01.07.2011 को एनएलएम की रिपोर्ट अग्रेषित की गई।
21	जालौन	दिनांक 15.04.2011 को एनएलएम की रिपोर्ट अग्रेषित की गई।
22	इलाहाबाद	दिनांक 25.01.2011 को एनएलएम की रिपोर्ट अग्रेषित की गई।